

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत क्यारी कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | परियोजना या स्कीम की अवस्थिति | ग्राम क्यारी कचटा मार्ग से
मैहसासा मोटर मार्ग
उत्तराखण्ड
देहरादून
चकराता वन प्रभाग
चकराता
है। |
| i) | राज्य / संघराज्यक्षेत्र | |
| ii) | जिला | |
| iii) | जिला वन प्रभाग | |
| | (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | |
| 8. | पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः | |
| 9. | अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: | |
| | (i) वन का प्रकार प्रिलि टोमेटो बैंगी | |
| | (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०।। | |
| | (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणना | लगभग ६। |
| | (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा | |
| 10. | भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि | |
| 11. | वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : | |
| 12. | वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : | |
| | (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : | |
| | (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) | नहीं। |
| | (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) | नहीं। |

- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी :-
गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के :-
खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या :-
कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की :-
युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- (i) क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए
 - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि
15. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में :-
किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
 - (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए
 - (iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) ✓
 - (iv) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) ✓
 - (v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं) ✓
 - (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।
16. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित :-
महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।
17. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों
दिनांक.....
स्थान.....

नाम 5. दिवाली (ट्रिप्प)
प्रभागीय टनाधिकारी
सरकारी मोहर चक्रता वन प्रभाग
चक्रता उपायकारी